आर.एन.मित्तल के समक्ष

दया राम - याचिकाकर्ता

बनाम हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 3054

19 अक्टूबर 1979

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चतुर्थ) - धारा 3 (क्यू), 4 और 5 - ग्राम सभा क्षेत्र को कई उप-विभाजनों (मजराओं) में विभाजित किया गया - प्रत्येक उप-विभाजन को एक ग्राम सभा क्षेत्र घोषित किया गया - ऐसे कोई उप-विभाजन नहीं दिखाए गए राजस्व अभिलेखों में राजस्व संपदा के रूप में - ऐसे प्रत्येक उप-विभाजन के लिए ग्राम सभा क्षेत्र का गठन - क्या कानूनी है।

माना गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 4 (1) और 5 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सरकार पांच सौ से कम आबादी वाले किसी भी गांव को एक ग्राम पंचायत घोषित कर सकती है। या अधिक सभा क्षेत्र. यह समान जनसंख्या वाले गाँवों के समूह को एक या अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकता है। सरकार प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से एक ग्राम पंचायत भी स्थापित कर सकती है। इस प्रकार, ग्राम सभा का गठन करने के लिए यह आवश्यक है कि एक गाँव या गाँवों का समूह हो जिसकी आबादी पाँच सौ या उससे अधिक हो। अधिनियम की धारा 3(क्यू) में 'गांव' शब्द को परिभाषित किया गया है और यह परिभाषा दर्शाती है कि राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व संपत्ति के रूप में दर्ज क्षेत्र को गांव कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी गांव को राजस्व संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक वह गांव की परिभाषा में नहीं आता है। जहां राजस्व अभिलेखों में किसी क्षेत्र को राजस्व सम्पदा के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इसके उप-विभाजन नहीं हैं, बाद वाले 'गांव' शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं और परिणामस्वरूप राज्यपाल ग्राम सभा क्षेत्रों का गठन ऐसे उपविभागों के नाम नहीं कर सकते हैं।

(पैरा 4 और 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-
(i) रिट याचिका की अनुमति दी जा सकती है;

(ii) अधिसूचना अनुबंध पी/1 और अनुबंध पी/1 के आधार पर हुए पूरे चुनाव और अनुबंध पी/2 और पी/3 में निहित मतदाता सूची को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी या परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाएगी। भी रद्द किया जाए;

(iii) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, भी जारी किया जा सकता है;

(iv) मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाए;

(v) उत्तरदाताओं को प्रस्ताव के नोटिस जारी करने से छूट दी जा सकती है;

(vi) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की भी छूट दी जा सकती है;

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के गांव भवाना (ग्राम सभा भवन) की ग्राम सभा के अवैध रूप से निर्वाचित सरपंच और पंच और ग्राम सभा कौशक, जो मूल ग्राम सभा कौशक की उत्तराधिकारी है, , सरपंच और पंचों के कार्यों का प्रयोग करने से रोका जाए। राम सरूप. याचिकाकर्ता के लिए वकील। बी.एस. मलिक, अतिरिक्त ए.जी. (एच.)

निर्णय

न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल,

(1) यह निर्णय 1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 3053, 3054 और 3055 का निपटान करेगा, जिसमें कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। 19 दया राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (आर.एन.मित्तल, जे.) फैसले में तथ्य सिविल रिट पेटिटियो नंबर 3054 सन् 1978 से दिए जा रहे हैं

(2) संक्षेप में, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 1984 और 1971 के चुनावों के दौरान ग्राम पंचायत कौशक के सरपंच के रूप में चुने गए थे। हरियाणा राज्य ने बाद में 2 जून 1978 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें ग्राम सभा कौशक को सात भागों में विभाजित किया गया। ग्राम सभाएँ, कौशक, जोरियाबाद, भवाना, अच्छेजा, इलाहाबाद, करीमपुर और कुदाबादपुर। यह आरोप लगाया गया है कि कौशक को छोड़कर उपरोक्त गांव गांव नहीं थे बल्कि मजरे थे और राज्य कौशक की राजस्व

संपत्ति में विभिन्न मजरों की सात ग्राम सभाएं नहीं बना सकता था। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की है कि विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का एकमात्र तर्क यह है कि एक राजस्व संपत्ति में मजरों के नाम पर 7 ग्राम सभा क्षेत्र नहीं हो सकते। उनका तर्क है कि 6 मजरे, अर्थात् अजोरीबाद, भवना, अच्छेजा, इलाहाबाद, करीमपुर और कुदाबादपुर अधिनियम में परिभाषित गांव नहीं थे, इसलिए, अधिसूचना रद्द करने योग्य है। बहस है कि,

(4) मैंने विद्वान वकील के तर्क पर उचित विचार किया है और उसमें बल पाया है। ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 4 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) सभा क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित है और धारा 5 ग्राम पंचायत की स्थापना और गठन से संबंधित है। उक्त धाराओं के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

"4(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा पांच सौ से कम आबादी वाले किसी भी गांव या निकटवर्ती गांवों के समूह को एक या अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकती है। बशर्ते कि सरकार विशेष मामलों में पांच सौ की सीमा में छूट दे सकती है। 5(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से पंचायत स्थापित कर सकती है।"

उपरोक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सरकार पांच सौ से कम आबादी वाले किसी भी गांव को एक या अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकती है। यह समान जनसंख्या वाले गाँवों के समूह को एक या अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकता है। सरकार प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से एक ग्राम पंचायत भी स्थापित कर सकती है। इस प्रकार ग्राम सभा के गठन के लिए यह आवश्यक है कि एक गाँव या गाँवों का समूह हो जिसकी आबादी पाँच सौ या उससे अधिक हो। अधिनियम की धारा 3 (क्यू) में 'गाँव' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: ""गाँव" का तात्पर्य किसी भी स्थानीय क्षेत्र से है, जो उस जिले के राजस्व अभिलेखों में राजस्व संपदा के रूप में दर्ज है, जिसमें वह स्थित है। उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज संपत्ति को राजस्व ग्राम कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी गांव को राजस्व संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक वह गांव की परिभाषा में नहीं आता है।

(5) आक्षेपित अधिसूचना में कौशक एवं उपरोक्त ग्रामों को ग्राम दर्शाया गया है। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना

क्रमांक EP-HR-78/157, दिनांक 2 जून, 1978. *हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट गांव या गांवों के समूह को उक्त अनुसूची के कॉलम 5 में प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट नाम से सभा क्षेत्र घोषित करते हैं, जिसमें इतनी संख्या में पंच शामिल होंगे। जैसा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामने उसके राजभाषा कॉलम 6 में निर्दिष्ट है, उसमें से अनुसूचित जाति के पंचों की संख्या का उल्लेख एसए अनुसूची के कॉलम 7 में किया जाएगा।

अनुसूची

क्रमांक।	गठित ग्राम का नाम	तहसील	ज़िला	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच सहित पंचों की संख्या	अनुसूचित जाति से संबंधित पंचों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
III	कौशक	पलवल	गुडगाँव	कौशक	5	1
III-A	जोरियाबाद	-do-	-do-	जोरियाबाद	5	1
III-B	भावना	-do-	-do-	भावना	5	1
III-C	अच्छेजा	-do-	-do-	अच्छेजा	5	1
III-D	इलाहाबाद	-do-	-do-	इलाहाबाद	5	1
III-E	करीमपुर	-do-	-do-	करीमपुर	5	1
III-F	कुदाबादपुर	-do-	-do-	कुदाबादपुर	5	1

अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि कॉलम 5 में उल्लिखित क्षेत्रों के नाम पर ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं। राजस्व अभिलेखों में केवल कौशक को राजस्व संपदा दिखाया गया है, न कि अन्य क्षेत्रों जैसे जोरियाबाद, भवाना, अच्छेजा को। इलाहाबाद, करीमपुर और कुदाबादपुर। इसलिए, ये छह स्थान 'गांव' शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। फलस्वरूप। राज्यपाल जोरियाबाद, भवाना, अच्छेजा, इलाहाबाद, करीमपुर और कुदाबादपुर के नाम पर ग्राम सभा क्षेत्रों का गठन नहीं कर सके। अत: अधिसूचना निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया है कि अधिसूचना में क्रम संख्या से पता चलता है कि ग्राम सभा क्षेत्र कौशक गांव में गठित किया गया है लेकिन अलग पहचान देने के लिए अन्य क्षेत्रों के नाम III-A, III-B इत्यादि का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी ग्राम सभाओं का गठन कौशक गांव में हुआ है। मुझे विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। कॉलम क्रमांक 2 में उल्लिखित स्थानों को ग्राम बताया गया है। कॉलम क्रमांक 5 में उन पंचायतों के नाम वही हैं जिन्हें कॉलम क्रमांक 2 में ग्राम बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि ग्राम कौशक में 7 ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। अंत में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने काफी हद तक और मेरे विचार से सही माना है कि राज्यपाल ग्राम कौशक में एक से अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकते हैं यदि प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या पांच सौ से कम न हो।

(7) अन्य रिट याचिकाओं में कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(8) उपरोक्त कारणों से मैं रिट याचिकाओं को स्वीकार करता हूं और लागू अधिसूचना को रद्द करता हूं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा